

Notif. No. 1059

रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

1893

सं० 73] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 1977/माघ 26, 1898

No. 73] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 1977/MAGHA 26, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February 1977

S.O. 167(E).—In exercise of the powers conferred by section 25 of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Profits) Surtax (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1977.

2. In the Appendix to the Companies (Profits) Surtax Rules, 1964, in Form No. 1,—

(a) in Part II,—

(i) in item 1, for the word and figure "Note 2", the word and figure "Note 1" shall be substituted;

(ii) in item 2, for the brackets and words "(Please give details)", the following shall be substituted, namely:—

"(To be filled in only where the return relates to the assessment year 1976-77 or any earlier assessment year. Please give details.)";

- (iii) in item 3,—
- (1) in entry (10), for the word and figure "Note 3", the word and figure "Note 2" shall be substituted;
  - (2) in entry (12), for the word and figure "Note 4", the word and figure "Note 3" shall be substituted;
  - (iv) Notes 2, 3 and 4 below Part II shall be re-numbered respectively as Notes 1, 2 and 3;
  - (v) in Note 1 as so re-numbered, in clause (a), after the words "the amount of the", the words "investment allowance and" shall be inserted;
- (b) in Part III,—
- (i) in item 1, for the word and figure "Note 5", the word and figure "Note 4" shall be substituted;
  - (ii) for item 3, the following items shall be substituted, namely:—
    - "3. Amount (as on the first day of the previous year) of—
    - (1) the investment allowance reserve, if any, created under section 32A(4) of the Income-tax Act, 1961;
    - (2) the development rebate reserve, if any, created under proviso (b) to section 10(2) (vib) of the Indian Income-tax Act, 1922, or under section 34(3) of the Income-tax Act, 1961.";
  - (iii) in item 5, the following shall be inserted at the end, namely:—
 

"(To be filled in only where the return relates to the assessment year 1976-77 or any earlier assessment year.)";
  - (iv) in item 6, for the brackets and words "(Please give details)", the following shall be substituted, namely:—
 

"(To be filled in only where the return relates to the assessment year 1976-77 or any earlier assessment year. Please give details.)";
  - (v) in item 8,—
    - (A) entries (1) and (2) shall be re-numbered respectively as entries (2) and (3), and before entry (2) as so re-numbered, the following entry shall be inserted, namely:—
      - "(1) If the company has not made any credit (as on the first day of the previous year) in any account of the nature of provision for taxation or provision for proposed dividend or the amount credited in such account falls short of the amount which should have reasonably been credited, the amount which has not been so credited or, as the case may be, the amount of shortfall. [Please see rule 1A of the Second Schedule to the Companies (Profits) Surtax Act, 1964]";
    - (B) in entry (3) as so re-numbered, in clause (a), for the word and figure "Note 6", the word and figure "Note 5" shall be substituted;
  - (vi) in item 9, for the word, brackets, figure, and letter "and (2)(c)", the brackets, figures, word and letter, "(2) and (3) (c)" shall be substituted;
  - (vii) in items 10 and 11,—
    - (1) for the words and figures "rules 1 and 2", the words, figures and letter "rules 1, 1A and 2" shall be substituted;
    - (2) for the word and figure "Note 7", the word and figure "Note 6" shall be substituted;
  - (viii) in item 13,—
    - (1) for the word and figure "Note 8", the word and figure "Note 7" shall be substituted;
    - (2) for the word and figure "Note 9", the word and figure "Note 8" shall be substituted;

(2) विष्टि (12) में "टिप्पण 4" शब्द और अंक के स्थान पर "टिप्पण 3" शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(iv) भाग 2 के नीचे टिप्पण 2, 3 और 4 क्रमशः टिप्पण 1, 2 और 3 के रूप में पुनः संख्यांकित किए जायेंगे ;

(v) इस प्रकार पुनसंख्यांकित टिप्पण 1 में खण्ड (क) में "को राशि" शब्दों के पश्चात् "और विनिधान अन्तःस्थापित की राशि" शब्द अन्तःस्थापित किए जायेंगे ;

(ख) भाग 3 में,—

(i) मद 1 में "टिप्पण 5" शब्द और अंक के स्थान पर "टिप्पण 4" शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(ii) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित में को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्—  
"3 निम्नलिखित को रकम (पूर्व वर्ष के प्रथम दिन यथाविद्यमान)

(1) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 32क (4) के अधीन सृष्ट विनिधान अन्तःस्थापित यदि कोई हो ;

(2) आय-कर अधिनियम 1922 की धारा 10 (2) (vi) ख के परस्तुक (ख) अथवा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 34 (3) के अधीन सृष्ट विकास रिबेट अन्तःस्थापित यदि कोई हो" ;

(iii) मद 5 में, अंत में निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"(वहीं भरा जाना चाहिए जहाँ विवरणों का सम्बन्ध निर्धारण वर्ष 1976-77 या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से हो)" ;

(iv) मद 6 में "कृपया ध्यान दें" कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जायेंगी, अर्थात्—

"(वहीं भरा जाना चाहिए जहाँ विवरणों का सम्बन्ध निर्धारण वर्ष 1976-77 या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से हो। कृपया ध्यान दें)" ;

(v) मद 8 में,—

(क) प्रविष्टियां (1) और (2) क्रमशः प्रविष्टियां (2) और (3) के रूप में पुनसंख्यांकित की जायेंगी और इस प्रकार पुनसंख्यांकित प्रविष्टि (2) से पूर्व निम्नलिखित विष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

"(1) यदि कम्पनी ने कराधान के लिए उपबन्ध या प्रस्तावित लाभांश के लिए उपबन्ध की प्रति के किसी लेखा में कोई राशि जमाखाते (पूर्व वर्ष के प्रथम दिन यथाविद्यमान) नहीं की हो या ऐसे लेखे में जमाखाते की गई राशि उस राशि से कम पड़ती हो जो युक्तियुक्त रूप से जमाखाते की जानी चाहिए थी, तो यथास्थिति, वह राशि जो स प्रकार जमाखाते नहीं की गई हो या कम पड़े"

[कृपया कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 की द्वितीय अनुसूची का नियम 1क देखें]

- (ix) for item 15, the following item shall be substituted, namely:—
- "15. Amount of the standard deduction.—(1) Where the return relates to the assessment year 1976-77 or any earlier assessment year, at 10 per cent of the capital (as shown in item 14) or Rs. 2,00,000, whichever is greater.
- (2) Where the return relates to any other assessment year, at 15 per cent of the capital (as shown in item 14) or Rs. 2,00,000, whichever is greater. (If the previous year is longer or shorter than a period of 12 months, the amount arrived at in accordance with entry (1) or, as the case may be, entry (2) should be increased or decreased proportionately). (Please see Note 9).";
- (c) Notes 5, 6, 7, 8, 9 and 10 below Part III shall be re-numbered respectively as Notes 4, 5, 6, 7, 8 and 9;
- (d) in Note 5 as so re-numbered, for the brackets and figure "(2)", the brackets and figure "(3)" shall be substituted;
- (e) in Note 6 as so re-numbered,—
- (1) for the words and figures "rule 1 and rule 2", the words, figures and letter "rule 1, rule 1A and rule 2" shall be substituted;
- (2) for the words and figures "rules 1 and 2", the words, figures and letter "rules 1, 1A and 2" shall be substituted.

[No. 1659/F. No. 143(11)/76-TPL]

S. N. SHENDE, Secy.,  
Central Board of Direct Taxes

### केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 1977

कां. खां. 167 (अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बताता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम कम्पनी (लाभ) अतिकर (संशोधन) नियम, 1977 है।  
(2) ये 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त होंगे।
2. कम्पनी (लाभ) अतिकर नियम, 1964 के उपाबंध में प्रबंध सं० 1 में:—
  - (क) भाग 2 में,—
    - (i) मद 1 में "टिप्पण 2" शब्द और अंक के स्थान पर "टिप्पण 1" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
    - (ii) मद 2 में, "(कृपया न्योरे दें)" कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—  
"(केवल वहाँ भरे जायें जहाँ दिवसों का सम्बन्ध निर्धारण वर्ष 1976-77 या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से हो। कृपया न्योरे दें।)";
  - (iii) मद 3 में,—
    - (1) प्रविष्टि (10) में, "टिप्पण 3" शब्द और अंक के स्थान पर "टिप्पण 2" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ड) इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 6 में,—

- (1) 'नियम 1 और नियम 2' शब्दों और अंकों के स्थान पर 'नियम 1, नियम 1क और नियम 2' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;
- (2) "नियम 1 और 2" शब्दों और अंकों के स्थान पर 'नियम 1, 1क और 2' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ।

[सं० 1659/फा० सं० 143(11)/76-टी० पी०एल ]

एस० एन० शेण्डे सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि (3) में खण्ड (क) में 'टिप्पण 6' शब्द और अंक के स्थान पर 'टिप्पण 5' शब्द और अंक रखे जायेंगे;

(vi) मद 9 में, "और (2) (ग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर के स्थान पर "(2) और (3) (ग)" कोष्ठक, अंक, शब्द और अक्षर, रखे जायेंगे;

(vii) मद 10 और 11 में;—

(1) "नियम 1 और 2" शब्द और अंक के स्थान पर 'नियम 1, 1क और 2' शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(2) "टिप्पण 7" शब्द और अंक के स्थान पर "टिप्पण 7" शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(viii) मद 13 में;—

(1) "टिप्पण 8" शब्द और अंक के स्थान पर 'टिप्पण 7' शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(2) "टिप्पण 9" शब्द और अंक के स्थान पर 'टिप्पण 8' शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(ix) मद 15 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :—

"15. मानक कटौती की रकम :

(1) जहां विवरणी का सम्बन्ध निर्धारण वर्ष 1976-77 या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से हो, वहां पूंजी (मद 14 में यथादर्शित) के 10 प्रतिशत की दर से रकम या 2,00,000 रु० की रकम, जो भी अधिक हो ।

(2) जहां विवरणी का संबंध किसी अन्य निर्धारण वर्ष से हो, वहां पूंजी (मद 14 में यथादर्शित) के 15 प्रतिशत की दर से रकम या 2,00,000 रु० की रकम, जो भी अधिक हो ।

(यदि पूर्व वर्ष 12 माह की अवधि से लम्बा या छोटा हो तो, यथास्थिति, प्रविष्टि (1) या प्रविष्टि (2) के अनुसार संगणित रकम अनुपाततः बढ़ायी या घटायी जानी चाहिए) ।

(कृपया टिप्पण 9 देखें)";

(ग) भाग III के नीचे के टिप्पण 5, 6, 7, 8, 9 और 10 क्रमशः टिप्पण 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के रूप में पुनः संख्यांकित किए जायेंगे ;

(घ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित टिप्पण 5 में, कोष्ठक और अंक '(2)' के स्थान पर '(3)' कोष्ठक और अंक रखे जायेंगे ;